(14)

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, धोरीमना, (जिला बाड़मेर) राज.

(पीठासीन अधिकारी श्री लाखाराम आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या 36/2021

वादीनी

1. एलची पत्नी सत्यपाल जाति विश्नोई निवासी राणासर कला तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. कोशला पुत्र भाखरा
2. वरसींगा पुत्र भाखरा
3. भीखा पुत्र हरभूज
4. सदराम पुत्र हरभूज
5. शान्ति पत्नी हरभूज जाति विश्नोई निवासी राणासर कला तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
6. प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा भूणिया
7. तहसीलदार धोरीमना

राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते बंटवाड़ा एवं निषेधाज्ञा

तारीख रजू : 22.06.2021

उपस्थित :– श्री ओमप्रकाश विश्नोई अधिवक्ता वादीनी
श्री गंगाराम विश्नोई प्रतिवादी संख्या 01
श्री हापूराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 02 से 05

–: : निर्णय : :–

दिनांक 05/01/24

वकील मय वादीनी द्वारा यह राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 53, 188 वास्ते बंटवाड़ा एवं निषेधाज्ञा का पेश कर निवेदन किया कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 05 की संयुक्त खातेदारी का खेत राजस्व ग्राम राणासर कला, पटवार हल्का राणासर कला, तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 354 क्षेत्रफल 6.7016 हैक्टेयर अर्थात रकबा 41–08 बीघा किस्म बारानी दोयम का आया हुआ है जिसमें वादीनी का वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी के पूर्व की तरफ का 1/2 हिस्सा जिस पर वादीनी का कब्जा काश्त चला आ रहा है, तथा शेष 1/2 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 01 से 05 का बनता है।

वादीनी का कुल रकबे में 1/2 हिस्सा [illegible] संख्या 01 से 05 का 1/2 हिस्सा घोषित किये जाने तथा वादीनी के [illegible] हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा किया जावें तथा सभी खा[illegible] की संयुक्त रूप से उत्तरी मेढे पर वादीनी को रास्ते से जोड़ा जावें। वादीनी [illegible] कब्जा काश्त व हिस्से आ[illegible] बंटवाड़ा व निषेधाज्ञा के अनुतोष का यह राजस्व वाद श्रीमान न्यायालय के समक्ष पेश करना आवश्यक होने से पेश किया गया है।

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमना
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर
सत्यमेव जयते
05/01/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

वादीनी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 05 की ओर से अधिवक्ता श्री हापूराम गोदारा द्वारा वकालतनामा मय जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 से 05 द्वारा वादीनी के वादपत्र का जवाब काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम राणासर कला, पटवार हल्का राणासर कला, तहसील धोरीमना खसरा संख्या 354 क्षेत्रफल 6.7016 हैक्टेयर अर्थात रकबा 41–08 बीघा किस्म बारानी दोयम मे वादीनी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 से 5 का 1/18 – 1/18 हिस्सा का बंटवाड़ा कर अलग से खाता कायम किया जावे। प्रतिवादी संख्या 02 से 05 का जवाब मय काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुए बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा किया जावे। प्रतिवादी सं. 01 की डाक रसिद व तामिली रिपोर्ट दिनांक 29.03.2022 को प्राप्त हुई। प्रतिवादी सं. 01 को जवाब हेतु एक अवसर दिया गया। बावजूद प्रतिवादी सं. 01 अनुपस्थित रहने तथा जवाब पेश नही करने से जवाब बंद किया गया। प्रतिवादी सं. 06 शाखा प्रबन्धक एसबीआई शाखा भूणिया बैंक में रहन होने से आवश्यक पक्षकार तथा प्रतिवादी सं. 07 तहसीलदार धोरीमना भूमिपति होने से प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है।

वकील वादीनी द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 से 05 की ओर से प्रस्तुत जवाब मय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया गया। तथा वादीनी अधिवक्ता द्वारा प्रतिवादी संख्या 02 से 05 की ओर से प्रस्तुत जवाब काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाने से हस्तगत प्रकरण में तनकियात कायम न करके सीधे पत्रावली को साक्ष्य में रखा गया। अधिवक्ता वादीनी द्वारा वादीनी एलची पत्नि सत्यपाल का साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र PW- 01 पेश किया गया। वादीनी साक्ष्य द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो को प्रदर्श किया गया, राजस्व ग्राम राणासर कला जमाबंदी खेत खसरा संख्या 354 सम्वत 2072 से 2075 खाता संख्या 159 (पुराना खाता सं. 146) प्रदर्श – 01, राजस्व ग्राम राणासर कला नक्शा मय खतौनी खसरा संख्या 354 खाता संख्या 159 (पुराना खाता सं. 146) जो प्रदर्श – 02 व वादीनी का आधार कार्ड फोटो प्रति प्रदर्श – 03ए न्यायालय में Exhibit करवाये। प्रतिवादी जिरह शून्य रही। वादीनी साक्ष्य द्वारा वाद के समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यो का प्रदर्श किया गया।

वादीनी वकील द्वारा साक्ष्य में [illegible] का निवेदन करने पर न्यायालय द्वारा वादी साक्ष्य बंद किया जाकर पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य हेतु तय कि गई। प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन करने पर प्रतिवादी साक्ष्य बंद किया गया।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। वकील वादीनी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादीनी का राजस्व ग्राम राणासर कला, पटवार हल्का राणासर कला,

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना 05/01/24

Scanned with OKEN Scanner

तहसील धोरीमना के खेत खसरा संख्या 354 क्षेत्रफल 6.7016 हैक्टेयर अर्थात रकबा 41–08 बीघा किस्म बारानी दोयम में वादीनी का वक्त खरीद से वादग्रस्त आराजी के पूर्व की तरफ का 1/2 हिस्सा जिस पर वादीनी का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीनी के कब्जा काश्त व हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड बंटवाड़ा किया जावें। दौराने बहस प्रतिवादी संख्या 02 ता 05 के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया की वादग्रस्त आराजी में वादीनी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 से 05 का 1/18 – 1/18 हिस्सा का बंटवाड़ा कर अलग से खाता कायम किया जावे।

वादग्रस्त आराजी वादीनी की खरीद सुदा है। हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के अधिवक्ता द्वारा जवाब मय काउन्टर क्लेम पेश कर वादीनी का 1/2 हिस्सा होना बताया गया है। लिहाजा वादग्रस्त आराजी खरीद सुदा होने से वादीनी 1/2 हिस्सा का बंटवाड़ा करवाने की हकदार है।

लिहाजा हम उक्त वाद को स्वीकार किया जाना उचित एवं विधि संगत समझते है। प्रतिवादी संख्या 02 से 05 के जवाब मय काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर वादीनी का वाद डिक्री किया जाता है कि वादग्रस्त आराजी राजस्व ग्राम राणासर कला, पटवार हल्का राणासर कला, तहसील धोरीमना खसरा संख्या 354 क्षेत्रफल 6.7016 हैक्टेयर अर्थात रकबा 41–08 बीघा किस्म बारानी दोयम मे वादीनी का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 01 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1/6 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 03 से 05 का 1/18 – 1/18 हिस्सा की प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार धोरीमना को आदेशित किया गया कि <u>"बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड" सभी पक्षकारान को रास्ते की सुविधा को ध्यान में रखते हुए</u> विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत करे। विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 में वर्णित सिद्धान्तो की पूर्ण पालना करते हुए बनावे "की प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.05.2022 को हाजा न्यायालय में जारी हुई।

प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार धोरीमन्ना से पत्र क्रमांकः भू.अ./2022/1211 दिनांक 21.06.2022 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्राप्त हुए। जिन्हें दिनांक 14.07.2022 को शामिल पत्रावली किया गया।

प्रतिवादी संख्या 01 ने हस्तगत वाद में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 26.05.2022 के विरूद्ध माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर में राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./77/2022 बाड़मेर [illegible] अपील [illegible] हुई। प्रस्तुत अपील का दिनांक 28.09.2022 को निर्णय हुआ। अपीलान्ट [illegible] अपील खारिज हो गई तथा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 26.05.2022 को [illegible]वत रखा गया। दिनांक 29.11.2022 को माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी से मूल पत्रावली पुनः प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने एक प्रार्थना पत्र 151 सीपीसी का प्रस्तुत किया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested
05/01/24
सहायक कलेक्टर (SDO) धोरीमन्ना
Scanned with OKEN Scanner

(17)

मौका रिपोर्ट एक तरफा बनाई गई। दोनों पक्षों की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे। प्रार्थना पत्र पर दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। तहसीलदार धोरीमन्ना से पुनः मौका रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार धोरीमन्ना से पत्र क्रमांक/भू.अ./2023 दिनांक 07.02.2023 से पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त मौका रिपोर्ट पर प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने एतराज करते हुए एक प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर उभपक्ष अधिवक्ताओं की सीधी बहस सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 01 के अधिवक्ता ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि दिनांक 07.02.2023 को तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा बनाये गये विभाजन प्रस्ताव मौके एवं कब्जेकाश्त अनुसार नही बनाये गये। उक्त बहस का वादीनी अधिवक्ता ने विरोध करते हुए निवेदन किया कि तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव हस्तगत प्रकरण में दोबारा पेश किया है लिहाजा अन्तिम बहस सुनी जावे।

हमने उभय पक्ष की दलीलों पर मनन किया तथा विभाजन प्रस्तावों का अध्ययन किया। विभाजन प्रस्ताव के अध्ययन से स्पष्ट है कि तहसीलदार धोरीमन्ना द्वारा हाजा न्यायालय के आदेशों के अनुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार किये है इनमें कोई विधिक त्रुटि कारित नही की है। साथ ही हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा एक बार आपत्ति पूर्व में दर्ज करवाने पर हाजा न्यायालय द्वारा दुबारा विभाजन प्रस्ताव मंगवाये गये। प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा ओर आपत्ति दर्ज करवाते हुए तीसरी बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाने का अनुरोध किया है। प्राकृतिक न्याय को देखते हुए अन्तिम बार प्रतिवादी संख्या 01 प्रार्थना पत्र को आंशिक स्वीकार करते हुए तहसीलदार धोरीमन्ना से तीसरी बार विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। तहसीलदार धोरीमन्ना से पत्र क्रमांक/भू.अ./2023/1602 दिनांक 12.09.2023 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में तीसरी बार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तैयार कर पेश किये है।

विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे पर उभय पक्ष अधिवक्ताओं की विस्तारपूर्वक बहस सुनी गई। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शों को दोनों पक्षों ने सही व मौके अनुसार होना का कथन करते हुए पत्रावली में हस्ताक्षर करते हुए स्वीकार किया है। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वाकुलाय एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा, वादीनी का वाद अन्तिम डिकी किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते है। लिहाजा वादीनी का वादपत्र एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 05 का काउण्टर क्लैम अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा राणासर [illegible] तहसील धोरीमन्ना के खेत खसरा नम्बर 254 रकबा 6.7016 हैक्टेयर [illegible] भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित मुताबिक पृथक खातेदारी घोषित की जाती है –

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

05/01/24
सहायक कलक्टर
(SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रूपये में)	बरंग
1	एलची पत्नी सत्यपाल हिस्सा 1/2 कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	354	3.2474	बा.दोयम	1.20	केसरिया
2	वरसींगा पुत्र भाखरा कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	354	1.087	बा.दोयम	0.40	भूरा
3	कोशला पुत्र भाखरा हिस्सा 1/2, भीखा पुत्र हरभुज हिस्सा 1/6, सदराम पुत्र हरभुज हिस्सा 1/6, शान्ति पत्नी हरभुज हिस्सा 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन शान्ति का हिस्सा एसबीबीजे शाखा भूणिया	354	2.1649	बा.दोयम	0.80	हरा
4	एलची पत्नी सत्यपाल, वरसींगा पुत्र भाखरा, कोशला पुत्र भाखरा, भीखा, सदराम पि. हरभुज, शान्ति पत्नी हरभुज कौम विश्नोई सा.देह खातेदार रहन शान्ति का हिस्सा एसबीबीजे शाखा भुणिया (रास्ते हेतु शामलाती रखी गई)	354	0.2069	गै.मु. रास्ता	—	लाल

तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादीनी के कब्जे–काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। खर्च पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। तदनुसार डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

05/01/24

(लाखाराम, RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना सत्यमेव जयते जिला-बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक–05/01/2024 को सर–ए–इजलास में सुनाया गया। 05/01/24

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

(लाखाराम, RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला–बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

(19)

अंतिम डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :–सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी मुकाम धोरीमन्ना
बईजलास :–श्री लाखाराम (आर.ए.एस.)

वादीनी बनाम प्रतिवादीगण

1.एलची पत्नी सत्यपाल जाति विश्नोई निवासी राणासर कला तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर

01. कोशला पुत्र भाखरा
02. वरसींगा पुत्र भाखरा
03. भीखा पुत्र हरभूज
04. सदराम पुत्र हरभूज
05. शान्ति पत्नी हरभूज जाति विश्नोई निवासी राणासर कला तहसील धोरीमना जिला बाड़मेर
06. प्रबंधक एस.बी.आई. शाखा भूणिय
07. तहसीलदार धोरीमना

मुकदमा नम्बर :– 36/2021
दावा बाबत् :– राजस्व वाद राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 53, 92क, 188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा, बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल फतई रू–ब–रू ....–.......... व हाजरी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, अधिवक्ता वादीनी मिनजानिब मुदई एवं श्री गंगाराम विश्नोई एवं हापूराम गोदारा मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि सरहद मौजा–राणासर कला पटवार हल्का राणासर कला, तहसील धोरीमना, जिला बाड़मेर में वादीनी एवं प्रतिवादीगण संख्या 01 ता 05 की सामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि की वर्तमान जमांबदी के खाता संख्या 159 के खसरा संख्या 354 रकबा 6.7016 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम की भूमि का बंटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नानुसार किया जाना उचित समझते हैः–

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं0	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	लगान (रूपये में)	बरंग
1	एलची पत्नी सत्यपाल हिस्सा 1/2 कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	354	3.2474	बा.दोयम	1.20	केसरिया
2	वरसींगा पुत्र भाखरा कौम विश्नोई सा.देह खातेदार	354	1.087	बा.दोयम	0.40	भूरा
3	कोशला पुत्र भाखरा हिस्सा 1/2, भीखा पुत्र हरभुज हिस्सा 1/6, सदराम पुत्र हरभुज हिस्सा 1/6, शान्ति पत्नी हरभुज हिस्सा 1/6 कौम विश्नोई सा. देह खातेदार रहन शान्ति का हिस्सा एसबीबीजे शाखा भूणिया	354	2.1649	बा.दोयम	0.80	हरा
4	एलची पत्नी सत्यपाल, वरसींगा पुत्र भाखरा, कोशला पुत्र भाखरा, भीखा, सदराम पि. हरभुज, शान्ति पत्नी हरभुज कौम विश्नोई सा.देह खातेदार रहन शान्ति का हिस्सा एसबीबीजे शाखा भूणिया (रास्ते हेतु शामलाती रखी गई)	354	0.2069	गै.मु. रास्ता	–	लाल

सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना जिला-बाड़मेर

05/01/24
सहायक कलक्टर (SDO) धोरीमन्ना

Signature Not Verified
Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार धोरीमन्ना को आदेशित किया जाता है कि इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा ट्रेस में दुरस्ती सुनिश्चित करे। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादीनी के कब्जे-काश्त में दखलअंदाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। खर्च पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर जमा हो।

नीज...............–...............मुबलिक...................–.............बाबत्.........–.........खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर.....–.........फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–...........को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 05/01/24 को सरे ईजलास जारी किया गया।

मोहर

05/01/24

(लाखाराम RAS)
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, धोरीमन्ना
(जिला-बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dhirendra Singh
Date: 2024.06.12 16:32:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner